

सार्वजनिक स्थान पर मिले मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का दाखिला

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 136)

1. रोगी का नाम	
2. अस्पताल और वार्ड का नाम	

मैं अस्पताल में क्यों हूँ?

आपको इस अस्पताल में एक पुलिस ऑफिसर द्वारा लाया गया है क्योंकि वे चिंतित थे कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं और किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी द्वारा आपको देखा—जांचा जाना चाहिए।

आपको यहां पर मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 136 के तहत रखा जा रहा है ताकि यह देखने के लिए आपका मूल्यांकन किया जा सके कि आपको उपचार की आवश्यकता है या नहीं।

मैं यहां कितने समय तक रहूँगा?

आपको यहां पर (या किसी अन्य जगह पर जहां आप सुरक्षित रहेंगे) 72 घंटों तक रखा जा सकता है ताकि आपको एक डॉक्टर और एक अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी देख सके।

अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे यह फैसला लेने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया होता है कि किसी व्यक्ति को अस्पताल में रखना ज़रूरी है या नहीं।

यदि डॉक्टर और अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी सहमति देते हैं कि आपको अस्पताल में रखने की ज़रूरत है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से आपको देखकर उनके फैसले की पुष्टि करने को कहा जा सकता है।

इस समय के दौरान आप बाहर नहीं जा सकते बशर्ते कि आपसे ऐसा करने को न कहा जाए। यदि आप जाने की कोशिश करते हैं, तो स्टाफ आपको रोक सकता है, और यदि आप चले गए तो आपको वापस लाया जा सकता है।

यदि डॉक्टर और अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी आपको 72 घंटे पूरे हो जाने पर भी नहीं देखते हैं, तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में ठहरने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं, तो कृपया पहले स्टाफ के किसी सदस्य से बात करें।

आपके मामले में 72 घंटे पूरे होते हैं :

तिथि	समय
------	-----

इसके बाद क्या होगा?

डॉक्टर एवं अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी द्वारा आपको देख लिए जाने के बाद, वे कह सकते हैं कि आपको अधिक समय तक अस्पताल में रहने की ज़रूरत है। वे आपको इसका कारण बताएंगे और बताएंगे कि कब तक रहना पड़ सकता है। आपको एक और पुस्तिका दी जाएगी जिसमें यह बताया है कि तब क्या होगा।

यदि वे फैसला करते हैं कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति आपसे यह बात करेगा कि आपको अन्य कौन-सी मदद मिलनी चाहिए।

क्या मैं अपील कर सकता हूँ?

नहीं। भले ही आप इस बात से सहमत न हों कि आपको अस्पताल में रहने की ज़रूरत है, तो भी आप अनुच्छेद 136 के तहत आपको यहां रखने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं।

क्या मेरा उपचार किया जाएगा?

अस्पताल का स्टाफ आपको ऐसे किसी भी उपचार के बारे में बता देगा जिसे वे आपके लिए ज़रूरी समझते हैं। यदि आप कोई उपचार प्राप्त नहीं करना चाहते तो आपके पास उस उपचार को कराने से इंकार करने का अधिकार है। सिर्फ विशेष स्थितियों में ही, जिनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, आपको बिना आपकी सहमति के उपचार दिया जा सकता है।

अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को जानें

इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

--

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने नर्स या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को बताएं।

अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को बदलना

यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुरितिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

आपके पत्र

जब तक आप अस्पताल में हैं आपके लिए भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

कार्यअभ्यास संहिता

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कहीं गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

मैं शिकायत कैसे कर सकता हूं?

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे आपको अस्पताल की शिकायत प्रक्रिया का ब्योरा भी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय समाधान के जरिए अपनी शिकायत का निपटारा करने के लिए कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर नजर रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुरितिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

अधिक सहायता और जानकारी

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझाने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुरितिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुरितिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुरितिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।